अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2005

का.आ. 137(अ).— जबकि, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 13 मार्च,1995 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 194(अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने श्री के.जे. मेहता टी.बी. हॉस्पिटल,अमरगढ़-364210, जिला भावनगर, गुजरात द्वारा अमरगढ़ में मौजूदा 747 बिस्तर वाले के0जे0 मेहता टी0बी0 हॉस्पिटल के नवीनीकरण और उसे आधुनिक बनाने और कुछ नया जोड़ने, बदलाव लाने तथा सड़कों के निर्माण तथा पुराने फर्नीचर/ स्टाफ क्वार्टरों को बदलने/ सज्जित करने और नए स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण तथा जिला भावनगर, गुजरात में अस्पताल के लिए उपस्कर तथा टी0बी0 के 75 शिविर लगाने की स्कीम की परियोजना को कर निर्धारण वर्ष 1996-1997 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 4 पर मात्र तीन करोड़ उन्नीस लाख और साठ हजार रुपए की अनुमानित लागत पर विनिर्दिष्ट किया था; और जिसे बाद में दिनांक 27 मार्च 1997 की अधिसूचना सं0 सां0आ0 265 (अ) द्वारा कर-निर्धारण वर्ष 1998-99 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्ष की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था जिसे दिनांक 28 मार्च, 2001 की अधिसूचना सं0 सां0आ0 288 (अ) द्वारा कर-निर्धारण वर्ष 2001-2002 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्ष की अवधि के लिए संशोधित करके लागत को 319.60 लाख रुपए से 419.60 लाख रुपए तक बढ़ा दिया गया था ;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के नौ वर्षों से अधिक समय तक चलने की संभावना है;

और, जबकि समाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपर्युक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 ड के उपनियम(5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961(1961 का 43)की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड(ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री के.जे. मेहता टी.बी. हॉस्पिटल,अमरगढ़-364210, जिला भावनगर, गुजरात द्वारा अमरगढ़ में मौजूदा 747 बिस्तर वाले के0जे0 मेहता टी0बी0 हॉस्पिटल के नवीनीकरण और उसे आधुनिक बनाने और कुछ नया जोड़ने, बदलाव लाने तथा सड़कों के निर्माण तथा पुराने फर्नीचर/ स्टाफ क्वार्टरों को बदलने/ सज्जित करने और नए स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण तथा जिला भावनगर, गुजरात में अस्पताल के लिए उपस्कर तथा टी0बी0 के 75 शिविर लगाने की स्कीम की परियोजना या स्कीम को अनुमोदित लागत में बिना कोई परिवर्तन के वित्तीय वर्ष 2003-2004 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि के लिए पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं. 36/2005/फा. सं. एनसी-270/408/2004]

सुनील चन्द्र शर्मा, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)